न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–936 / 2026

कुन्दन कुमार उर्फ तुफानी बनाम् बिहार सरकार

बिदुपुर थाना कांड सं0–557 / 2025

अंतर्गत धारा–103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–25(1–बी)ए, 26, 35, 27 आर्म्स एक्ट।

Web Copy not Official

08.07.2026 बिदुपुर थाना कांड संख्या–557 / 2025, अंतर्गत धारा–103(1), 61(2), 3(5) एवं धारा–25(1–बी)ए, 26, 35, 27 आर्म्स एक्ट में अभिरक्षाधीन आवेदक **कुन्दन कुमार उर्फ तुफानी** उम्र–30 वर्ष **पेसर–स्व0 सीताराम सिंह** साकिन–पकौली, थाना–बिदुपुर, जिला–वैशाली, जो दिनांक–16.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है, के तरफ से धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दाखिल नियमित जमानत आवेदन पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता **श्री पंकज कुमार** तथा राज्य के तरफ से विद्वान लोक अभियोजक **श्री श्यामबाबू राय** को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

जमानत आवेदन की कण्डिका 02 में उल्लिखित है कि आवेदक के तरफ से पूर्व में अग्रिम जमानत आवेदन सं0–3216 / 2025 दाखिल किया गया था जिसे पारित आदेश दिनांक–15.01.2026 से अस्वीकृत किया गया है जिससे क्षुब्ध होकर आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष आपराधिक विविध वाद सं0–11420 / 2026 दाखिल किया गया था जिसे पारित आदेश दिनांक–08.05.2026 से अस्वीकृत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन का कथानक यह है कि, दिनांक–25.08.2025 का रात्रि करीब 11.00 बजे रजासन मेन रोड पर सूचिका के पति को अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा पकौली स्थित अपने नये मकान से पुराने घर भैरोपुर आने के क्रम में गोली मारकर हत्या कर दिया गया, जिसकी सूचना सूचिका एवं उसके परिजन को पुलिस एवं ग्रामीणों के द्वारा दी गई। सूचिका कुछ समय बाद रात्रि में घटनास्थल पर पहुंची तो अपने पति को मृत अवस्था में पायी। उसके बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा सूचिका के पति का पोस्ट–मार्टम एवं विधिक कार्य कराया गया। उसके बाद उसे अपने पति का शव प्राप्त हुआ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि, आवेदक दिनांक–16.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक निर्दोष है तथा उन्हें मिथ्या रूप से इस मामला में शक के आधार पर फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्व बिदुपुर थाना कांड सं0–113 / 2020 अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, बिदुपुर थाना कांड सं0–648 / 2022 अंतर्गत धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध अधिनियम एवं 341, 323, 379, 353 भारतीय दण्ड संहिता, सराय थाना कांड सं0–272 / 2024 अंतर्गत धारा–317(2) भारतीय न्याय संहिता एवं

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–936 / 2026

कुन्दन कुमार उर्फ तुफानी बनाम् बिहार सरकार

08.07.2026 धारा–25(1–बी)ए, 26, 35 आर्म्स एक्ट एवं बेगूसराय (मुफस्सिल) थाना कांड सं0–177 / 2021 अंतर्गत धारा–392 भारतीय दण्ड संहिता लंबित है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम इस मामले के सह अभियुक्त सचिन कुमार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड सं0–140 / 2025 में दिये गये संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। विद्वान अधिवक्ता का आगे कथन है कि आवेदक का उक्त घटना से कोई सरोकार नहीं है और उक्त घटना का कोई चक्षु साक्षी नहीं है। निवेदित है, आवेदक को नियमित जमानत का लाभ दिया जाय।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के नियमित जमानत आवेदन पत्र का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना। जमानत आवेदन, मूल अभिलेख सहित कांड दैनिकी, पूरक अभिलेख एवं उसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि आवेदक दिनांक–16.06.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है बल्कि उसका नाम इस मामले के सह अभियुक्त सचिन कुमार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र थाना कांड सं0–140 / 2025 में दिये गये संस्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है जिसमें उसने अपनी तथा आवेदक सहित अन्य अभियुक्तों की उक्त कांड में संलिप्तता का तथ्य सामने आया है जो कांड दैनिकी की कंडिका 33 में अंकित है जिसमें उसने कहा है कि चंदन कुमार के जेल चले जाने के बाद वह भी छोटी–छोटी घटना को अंजाम देने लगा। उसी क्रम में उसकी दोस्ती गांव के ही कुणाल उर्फ दिवानी भैया, तुफानी उर्फ कुन्दन भैया (आवेदक) दोनों पेसर–सीता राम सिंह एवं कुन्दन कुमार पेसर–चन्देश्वर सिंह से हुई। आगे अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका के पति शिव शंकर प्रसाद सिंह को गोली मारने की बात को स्वीकार किया है। प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन कांड दैनिकी की कंडिका 07, 08, 09, 10, 12, 127 एवं 128 में अंकित बयान में साक्षियों द्वारा किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 02 में मृतक शिव शंकर प्रसाद सिंह का मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट है जिसमें गोली मारकर हत्या कर देना बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 25 में मृतक शिव शंकर प्रसाद सिंह का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित है जिसमें भी चिकित्सक द्वारा अपने मंतव्य में आग्नेयास्त्र के कारण हुई जख्म के बाद रक्तश्राव व सदमे के कारण मृत्यु होना बताया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका 35 से प्रकट होता है कि अभियुक्त सचिन कुमार के दलान से पिस्टल तथा दो जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है। कांड दैनिकी की

Web Copy not Official

न्यायालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

उपस्थित : हर्षित सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, वैशाली, हाजीपुर।

नियमित जमानत आवेदन सं0–936 / 2026

कुन्दन कुमार उर्फ तुफानी बनाम् बिहार सरकार

08.07.2026 कंडिका 157 में अंकित बयान में साक्षी निखिल कुमार के द्वारा बताया गया है कि घटना के दिन रात में घटना के बारे में सुनने से एक घंटा पहले उसके गांव के ही कुणाल कुमार उर्फ दीवानी एवं सचिन कुमार को मोटरसाईकिल से घूमते हुए देखा था। जमानत आवेदन की कंडिका 03 से विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध चार कांडों का आपराधिक इतिहास है जो बिहार मद्यनिषेध अधिनियम, आर्म्स एक्ट एवं लूट से संबंधित है। कांड दैनिकी की कंडिका 127 व कंडिका 128 जो क्रमशः साक्षी अमन कुमार तथा चंचल देवी का कथन है के अवलोकन से प्रकट होता है कि कुंदन कुमार उर्फ तूफानी और कुणाल कुमार उर्फ दीवानी द्वारा मृतक शिव शंकर सिंह के विरूद्ध धमकी दी गई थी। अभिलेख के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि आवेदक के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए इस मामले के सह अभियुक्तगण कुन्दन कुमार पेसर–चन्देश्वर सिंह, सचिन कुमार एवं रोहित यादव के विरूद्ध धारा–103(1), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा–25(1–बी)ए, 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित किया गया है। मामला हत्या जैसी गंभीर प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों, मामले में आरोप की गंभीरता एवं आवेदक के सक्रिय भागीदारी को देखते हुए आवेदक को नियमित जमानत की सुविधा प्रदान करना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त नामित आवेदक का नियमित जमानत आवेदन पत्र **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

(हर्षित सिंह)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web copy not Official